ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 6, June 2019

मानव अधिकार में महिला भागीदारी

Dr. Sukhjinder Singh

Assistant Professor, Dept. of Humanities and Social Sciences, Govt. Engineering College, Jhalawar, India

सार

महिलाओं के अधिकार, वह अधिकार है जो प्रत्येक महिला या बालिका का विश्वव्यापी समाजों में पहचाना हुआ जन्मसिद्ध अधिकार या हक है। १९वीं सदी में महिला हक संग्राम और २०वीं सदी में फेमिनिस्ट आंदोलन का यह आधार रहा है। कई देशों में यह हक कानूनी तौर पर, अंदरूनी समाज द्वारा या लोगों के व्यवहार में लागू होता है तो कई देशों में यह प्रचलित नहीं है। कई देशों में व्यापक तौर पर मानवाधिकार का दावा निहित इतिहासिक और परम्परागत झुकाव के नाम पर महिलाओं और बालिकाओ का हक पुरुषों और बालकों के पक्ष में दे दिया जाता है। महिलाओं के अधिकार के विषय मे कुछ हक अखंडता और स्वायत्तता शारीरिक करने की आजादी, यौन हिंसा से मुक्ति; मत देने की आजादी; सार्वजनिक पद धारण करने की आजादी; कानूनी कारोबार में प्रवेश करने की आजादी;पारिवारिक कानून में बराबर हक; काम करने की आजादी और समान वेतन की प्राप्ति; प्रजनन अधिकारों की स्वतंत्रता; शिक्षा प्राप्ति का अधिकार।

महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) महिलाओं के अधिकारों पर सबसे व्यापक संधि है। यह महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव की निंदा करता है और महिलाओं और पुरुषों को समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक अधिकारों की गारंटी देने के महत्व की पुष्टि करता है । महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन देखें (18 दिसंबर 1979 को अपनाया गया, 3 सितंबर 1981 को लागू हुआ), 1249 यूएनटीएस 13. मई 2014 तक, 188 राज्य पार्टी हैं 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों में से CEDAW के ।

CEDAW प्रदान करता है कि समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक अधिकार होने चाहिए महिलाओं के लिए उनकी वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना होने चाहिए और राज्यों को भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है (अनुच्छेद 1, 2 और 3)। यह राज्यों को पुरुषों और महिलाओं के बीच व्यवहार में समानता की उपलब्धि में तेजी लाने के लिए अस्थायी विशेष उपाय करने की अनुमति देता है (अनुच्छेद 4), और भेदभाव को कायम रखने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक पैटर्न को संशोधित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए (अनुच्छेद 5)। राज्यों की पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि अनुबंध और अन्य निजी उपकरण जो महिलाओं की कानूनी क्षमता को प्रतिबंधित करते हैं, उन्हें "अशक्त और शून्य माना जाएगा" (अनुच्छेद 15)। कन्वेंशन शिक्षा तक समान पहुंच की आवश्यकता को भी संबोधित करता है।

परिचय

महिलाओं के अधिकार मौलिक मानवाधिकार हैं जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगभग 70 साल पहले ग्रह पर हर इंसान के लिए स्थापित किए गए थे। इन अधिकारों में हिंसा, गुलामी और भेदभाव से मुक्त रहने का अधिकार शामिल है; शिक्षित होना; संपत्ति के मालिक होने के लिए; मतदान करना; और एक उचित और समान वेतन अर्जित करने के लिए।जैसा कि अब प्रसिद्ध कहावत है, "महिला अधिकार मानव अधिकार हैं।" कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाएं इन सभी अधिकारों की हकदार हैं। फिर भी दुनिया भर में लगभग हर जगह, महिलाओं और लड़कियों को अभी भी उनसे वंचित किया जाता है, अक्सर केवल उनके लिंग के कारण। महिलाओं के लिए अधिकार जीतना किसी भी महिला या लड़की को अवसर देने से कहीं अधिक है; यह देशों और समुदायों के काम करने के तरीके को बदलने के बारे में भी है। इसमें कानूनों और नीतियों को बदलना, दिलों और दिमागों को जीतना और मजबूत महिला संगठनों और आंदोलनों में निवेश करना शामिल है।[1,2]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 6, June 2019

महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को जीतने के लिए हर दिन काम करने वाले महिला समूहों के अथक और साहसी प्रयासों का समर्थन करने के लिए मौजूद है। ये समूह यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि महिलाएं संपत्ति का मालिक हो सकती हैं, वोट दे सकती हैं, कार्यालय के लिए दौड़ सकती हैं, उचित वेतन प्राप्त कर सकती हैं, और हिंसा से मुक्त रह सकती हैं - जिसमें घरेलू हिंसा, यौन हमला और महिला जननांग विकृति जैसी हानिकारक प्रथाएं शामिल हैं।हम सभी मानवाधिकार के हकदार हैं। इनमें हिंसा और भेदभाव से मुक्त रहने का अधिकार शामिल है; शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक का आनंद लेने के लिए; शिक्षित होना; संपत्ति के मालिक होने के लिए; मतदान करना; और समान वेतन पाने के लिए।[3]

लेकिन दुनिया भर में कई महिलाओं और लड़कियों को अभी भी लिंग और लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लैंगिक असमानता कई समस्याओं को रेखांकित करती है जो महिलाओं और लड़कियों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं, जैसे घरेलू और यौन हिंसा, कम वेतन, शिक्षा तक पहुंच की कमी और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल।[4]

कई वर्षों से महिला अधिकार आंदोलनों ने इस असमानता को दूर करने के लिए कड़ा संघर्ष किया है, कानूनों को बदलने या अपने अधिकारों की मांग के लिए सड़कों पर उतरने के अभियान का सम्मान किया जाता है। और डिजिटल युग में नए आंदोलन पनपे हैं, जैसे #MeToo अभियान जो लिंग आधारित हिंसा और यौन उत्पीड़न की व्यापकता को उजागर करता है।एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अनुसंधान, वकालत और प्रचार के माध्यम से सत्ता में बैठे लोगों पर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने का दबाव डाला।[5]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 6, June 2019

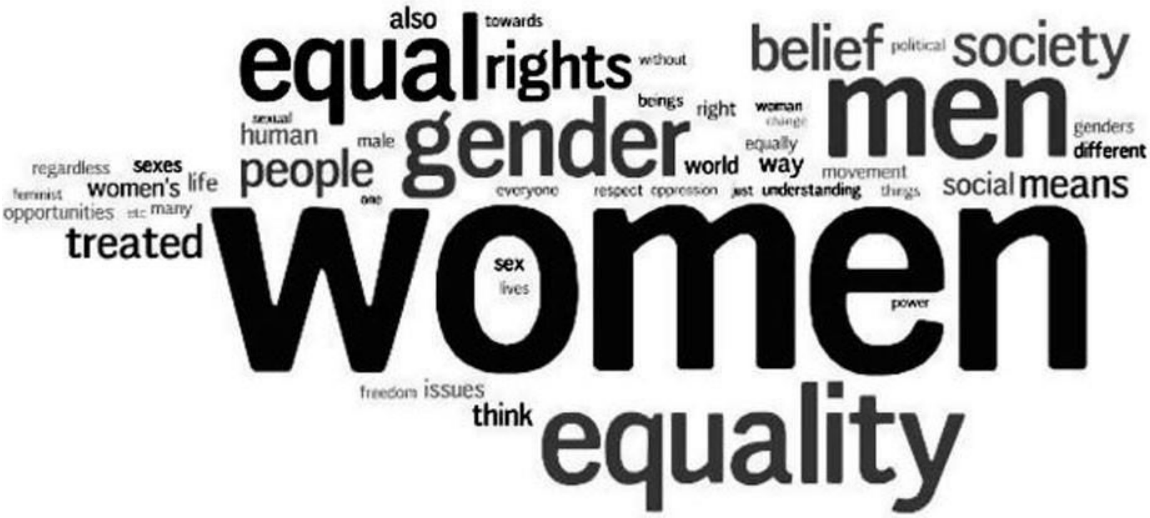

अवलोकन

हर महिला और लड़की के यौन और प्रजनन अधिकार हैं। इसका मतलब है कि वे गर्भनिरोधक और सुरक्षित गर्भपात जैसी स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच के हकदार हैं, यह चुनने के लिए कि वे कब, किससे और किससे शादी करते हैं, और यह तय करने के लिए कि क्या वे बच्चे पैदा करना चाहते हैं और यदि हां, तो कितने, कब और किसके साथ।[6,7]

महिलाओं को बलात्कार और अन्य यौन हिंसा, महिला जननांग विकृति (FGM), जबरन शादी, जबरन गर्भधारण, जबरन गर्भपात, या जबरन नसबंदी सहित लिंग आधारित हिंसा के डर के बिना जीने में सक्षम होना चाहिए।

लेकिन जब तक सभी महिलाएं इन अधिकारों का आनंद नहीं ले सकतीं, तब तक एक लंबा रास्ता तय करना है।

कई अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय उपकरणों ने मानवाधिकारों के मुद्दों के लिंग-संबंधी आयामों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) है, जिसे 1979 में अपनाया गया था।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 6, June 2019

1993 में, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने के 45 साल बाद, और CEDAW के लागू होने के आठ साल बाद, वियना में मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन ने पुष्टि की कि महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार थे। यह कथन और भी आवश्यक था हड़ताली है - अधिकारों के हकदार मानव के रूप में महिलाओं की स्थिति पर कभी संदेह नहीं होना चाहिए था। और फिर भी यह मानव अधिकारों के उल्लंघन के रूप में महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा की पहचान करने और लिंग और मानव अधिकारों के उल्लंघन के बीच संबंधों पर ध्यान आकर्षित करने में आधी मानवता के सही दावों को पहचानने में एक कदम आगे था।[8]

हिंसा सबसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है, और महिलाओं पर अक्सर यौन कारणों से या यहां तक कि उनके लिंग के आधार पर हमला किया जाता है। महिलाओं की हत्या की घटना बढ़ रही है और रिपोर्टों का अनुमान है कि 2012 में मारे गए सभी महिलाओं में से लगभग आधी को अंतरंग भागीदारों या परिवार के सदस्यों द्वारा मार दिया गया था। महिला मानवाधिकार रक्षक भी अक्सर हिंसा का जानबूझकर निशाना बनती हैं। के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विशेष दूत की 2012 की रिपोर्ट , कोलम्बिया में महिलाओं समुदाय के नेताओं, और उनके अधिकारों के लिए लड़ने महिलाओं, लिंग संबंधी हत्याओं का मुख्य लक्ष्य हैं।[9]

महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत, सरकारों का कानूनी दायित्व है कि वे महिलाओं को हिंसा से बचाएं, सभी महिलाओं के मानवाधिकारों को बढ़ावा दें और उनके आर्थिक, कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी प्रकार की हिंसा को रोकने, भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों में सुधार करने और हिंसा से बचे लोगों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है।[10,11]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 6, June 2019

संयुक्त राष्ट्र महिला यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि राज्य महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा से बचाने के लिए कानूनों, नीतियों और योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन करें। हम कानून प्रवर्तन और न्याय अधिकारियों को प्रशिक्षित और शिक्षित करने के लिए अन्य संयुक्त राष्ट्र भागीदारों के साथ काम करते हैं।

विचार – विमर्श

कई वर्षों में अंतरराष्ट्रीय महिला अधिकार आंदोलन द्वारा किए गए महान कदमों के बावजूद, दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों की अभी भी बच्चों के रूप में शादी की जाती है या जबरन श्रम और यौन दासता में तस्करी की जाती है। उन्हें शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी से वंचित कर दिया जाता है, और कुछ ऐसे संघर्षों में फंस जाते हैं जहां बलात्कार को युद्ध के हथियार के रूप में अंजाम दिया जाता है। दुनिया भर में, गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित मौतें अनावश्यक रूप से अधिक हैं, और महिलाओं को अपने निजी जीवन में गहरी व्यक्तिगत पसंद करने से रोका जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता-अधिकारों की रक्षा और जमीन पर महिलाओं और लड़कियों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में काम कर रही है।[12]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 6, June 2019

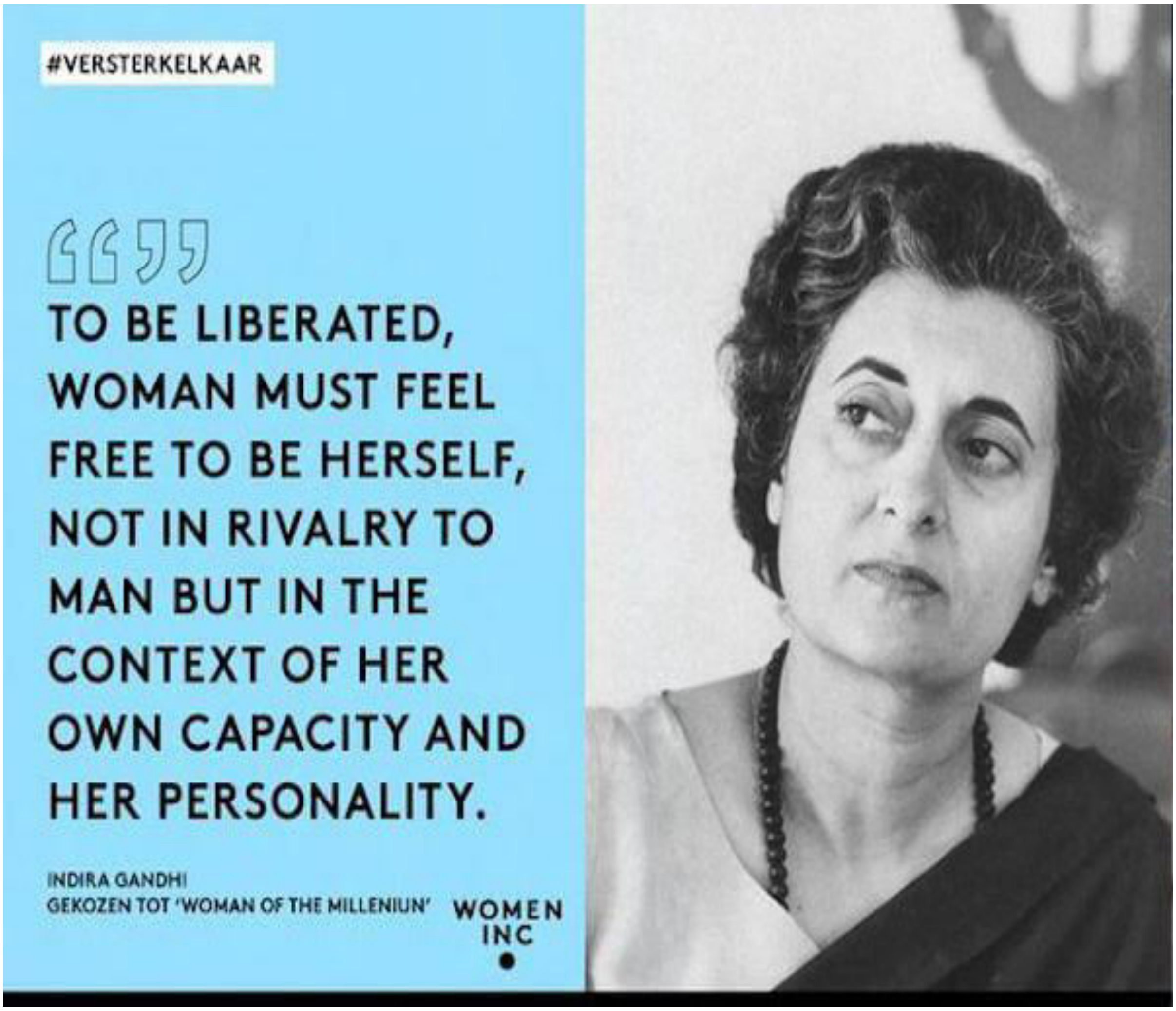

दुनिया भर में लैंगिक असमानताएं जारी हैं। इसका सामना करते हुए, फ्रांस अपनी विकास सहायता नीतियों और बाहरी कार्रवाई में लैंगिक क्रियाओं की सुसंगतता और प्रभावशीलता को बढ़ा रहा है। लैंगिक समानता के लिए तीसरी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (2018-2022) दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए फ्रांस के प्रयासों के समन्वय के लिए डिज़ाइन किया गया एक स्टीयरिंग टूल है। रणनीति लैंगिक समानता को अपने कार्यकाल का महान राष्ट्रीय कारण बनाने के लिए राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता का अंतर्राष्ट्रीय अवतार है।[13]

लैंगिक समानता के लिए राजनीतिक समर्थन बढ़ाने के लिए, लैंगिक मुद्दों को सभी क्षेत्रों में संबोधित करने की आवश्यकता है, भले ही वे विकास से संबंधित हों या नहीं, और सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। यह विशेष रूप से शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आर्थिक समावेशन, मानवीय रणनीति और जलवायु, अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी, और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित मुद्दों का मामला है। रणनीति द्विपक्षीय राजनीतिक बैठकों के दौरान लैंगिक समानता के मुद्दों से निपटने और राजनयिक पदों के काम में शामिल होने की भी वकालत करती है।[14]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 6, June 2019

परिणाम

CEDAW 1979 में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है । ब्रिटेन 1986 में इसका पालन करने के लिए सहमत हुआ।

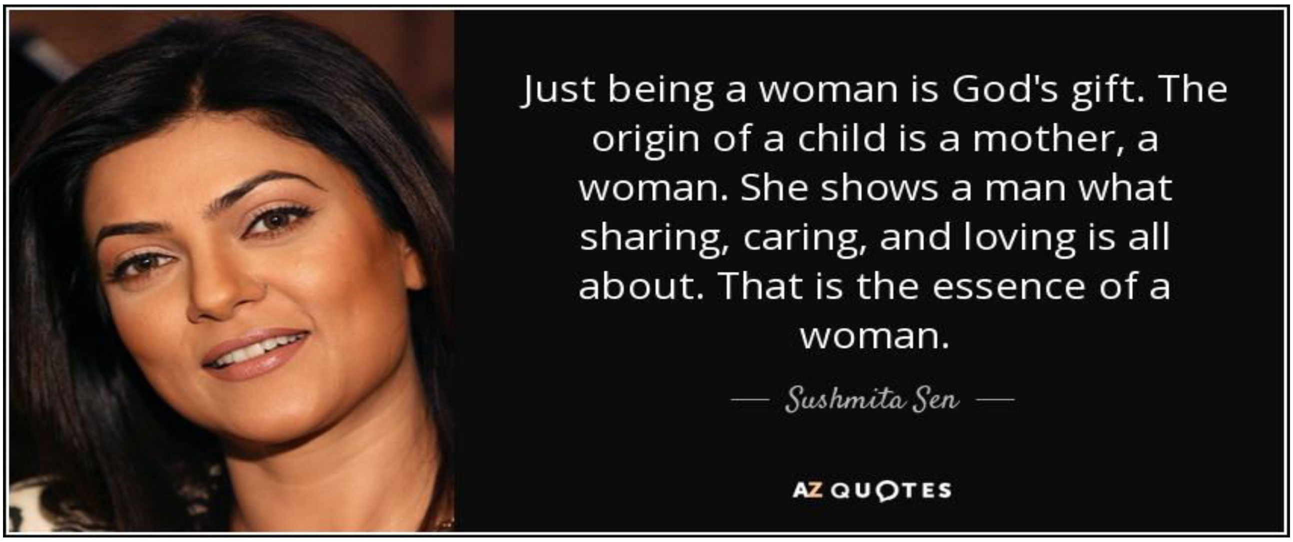

CEDAW का अनुसरण करके, यूके महिलाओं को पुरुषों के साथ समान आधार पर मानवाधिकारों का पूर्ण आनंद सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने के लिए सहमत है, जिसमें शामिल हैं:

1) महिलाओं और पुरुषों के लिए रूढ़िवादी भूमिकाओं का उन्मूलन
2) सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना
3) कानून के समक्ष समानता
4) रोजगार में भेदभाव को खत्म करना

यूएन ने पिछली बार जांच की थी कि यूके फरवरी 2019 में सीईडीएडब्ल्यू को कितनी अच्छी तरह लागू कर रहा है और मार्च 2019 में अपनी सिफारिशों को प्रकाशित किया। इनमें शामिल हैं:

CEDAW को घरेलू कानून में शामिल करना और इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय तंत्र बनाना[15,16]

1) यूरोपीय संघ से हटने की प्रक्रिया के दौरान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना
2) इस्तांबुल कन्वेंशन की पुष्टि करना, और महिलाओं और लड़कियों को लिंग आधारित हिंसा से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना
3) महिलाओं के अधिकारों पर सार्वजनिक खर्च, कर और कल्याण सुधारों के प्रभाव का आकलन करना, और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने और हल करने के लिए कार्रवाई करना

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 6, June 2019

4) नकारात्मक लैंगिक रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाना और स्कूलों, सार्वजनिक अभियानों और मीडिया में लिंग के सकारात्मक और विविध प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना

5) कार्यस्थल में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए सभी नियोक्ताओं की आवश्यकता है

हमारे CEDAW निगरानी के भाग के रूप में हमने जो नवीनतम कार्य प्रस्तुत किए हैं उनमें शामिल हैं:

1) महिलाओं के अधिकारों में हमारी अब तक की सबसे बड़ी समीक्षा - प्रगति के लिए दबाव:

2) महिला अधिकार और लैंगिक समानता (जुलाई 2018)

3) एक अद्यतन रिपोर्ट , CEDAW समिति को और साक्ष्य प्रस्तुत करना (फरवरी 2019)

4) यूके सरकार को एक पत्र जिसमें उनसे यह निर्धारित करने के लिए कहा गया है कि वे संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों को कैसे लागू करेंगे। आप हमें उनकी प्रतिक्रिया की एक प्रति डाउनलोड कर सकते हैं (शब्द)

5) एक अनुवर्ती रिपोर्ट , CEDAW समिति को और साक्ष्य प्रस्तुत करना (जुलाई 2021)

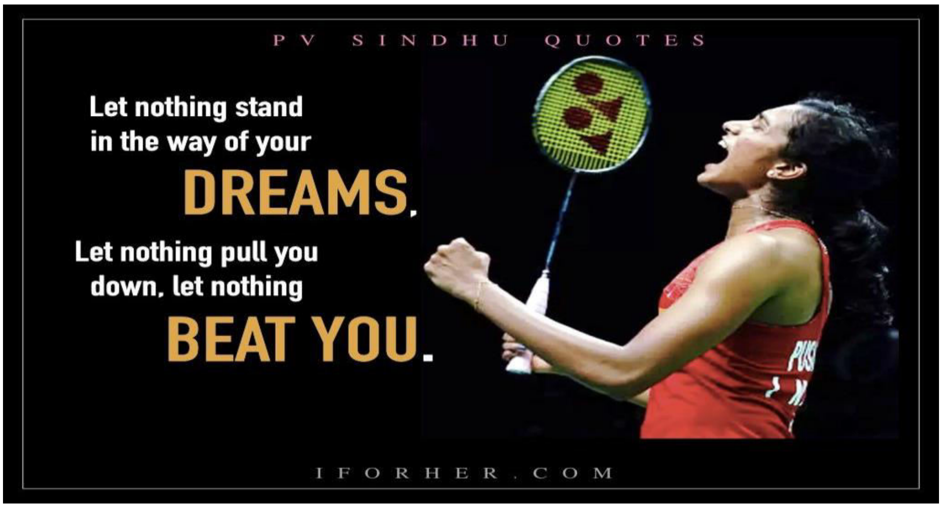

निष्कर्ष

इतिहास पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि महिलाओं ने समानता की लड़ाई में काफी प्रगति की है, जिसमें महिलाओं के मताधिकार और कार्यस्थल और शिक्षा में समान अवसर शामिल हैं। लैंगिक समानता के संघर्ष में हुई जबरदस्त प्रगति के बावजूद, महिलाओं को अभी भी समाज में समान भागीदारी के लिए हिंसा, भेदभाव और संस्थागत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मुकदमेबाजी, वकालत और सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से, ACLU महिला अधिकार परियोजना उन संस्थानों में परिवर्तन और प्रणालीगत सुधार पर जोर देती है जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को कायम रखते हैं, रोजगार के क्षेत्रों में अपना काम, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। [17]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 6, June 2019

लिंग और लिंग के आधार पर भेदभाव व्यापक रूप से बना हुआ है और आर्थिक संकट और कुछ यूरोपीय राज्यों में अपनाए गए मितव्ययिता उपायों से आगे बढ़ गया है, जिन्होंने महिलाओं पर असमान रूप से प्रभाव डाला है।महिलाओं के अधिकारों को उन महिलाओं को लक्षित प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों के पुनरुत्थान से भी खतरा है जो अधीनस्थ भूमिका से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं जिसमें उन्हें सदियों से रखा गया है। चिंता का एक और मुद्दा यूरोप में महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का तेज होना है, खासकर इंटरनेट पर। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और अभद्र भाषा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उपजाऊ आधार प्रदान करती है, जो महिलाओं द्वारा झेले जाने वाले सबसे चरम मानवाधिकारों में से एक है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बड़ी संख्या में मामलों में पुलिस, अभियोजकों और न्यायाधीशों सहित राष्ट्रीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया अपर्याप्त है।[18]

हाल के दशकों में कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है। महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा को रोकने और लड़ने पर यूरोप कन्वेंशन की परिषद कई सदस्य राज्यों के लिए लागू हो गई है और यूरोप की लैंगिक समानता रणनीति 2018-2023 परिषद अच्छी तरह से लागू है। हालांकि, लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की पूर्ति को वास्तविकता बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसलिए मानवाधिकार आयुक्त ने महिलाओं के मानवाधिकारों और लिंग और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई को अपने एजेंडे में मजबूती से रखा है।[19,20]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 6, June 2019

संदर्भ

1. होस्केन, फ्रैन पी., ह्यूमन राइट्स क्वार्टरली में 'टुवर्ड्स ए डेफिनिशन ऑफ़ विमेन राइट्स', वॉल्यूम। 3, नंबर 2. (मई 1981), पीपी. 1-10.
2. लॉकवुड, बर्ट बी. (सं.), महिला अधिकार: ए "ह्यूमन राइट्स क्वार्टरली" रीडर (जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006), आईएसबीएन 978-0-8018-8374-3 ।
3. ए बी सी डी ई क्रेमर, सैमुअल नूह (1963), द सुमेरियन: देयर हिस्ट्री, कल्चर एंड कैरेक्टर , शिकागो, इलिनोइस: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, पी। 78 , आईएसबीएन 978-0-226-45238-8
4. ए बी सी डी ई एफ नेमेट-नेजत, करेन रिया (1998), प्राचीन मेसोपोटामिया में दैनिक जीवन में दैनिक जीवन, दैनिक जीवन, ग्रीनवुड, आईएसबीएन 978-0313294976
5. बिंकले, रोबर्टा (2004)। "एनहेडुआना के प्राचीन चित्र को पढ़ना"। यूनानियों से पहले और उससे परे बयानबाजी। सनी प्रेस. पी। 47. आईएसबीएन 9780791460993.
6. जोशुआ जे। मार्क (4 नवंबर 2016)। "प्राचीन मिस्र में महिलाएं" । विश्व इतिहास विश्वकोश । 26 जुलाई 2017 को लिया गया ।
7. मधोक, सुजाता। "महिला: पृष्ठभूमि और परिप्रेक्ष्य" । इंफोचेंज इंडिया । से संग्रहीत मूल 24 जुलाई 2008 को । 24 दिसंबर 2006 को लिया गया ।
8. मिश्रा, आरसी (2006)। भारत में महिलाएं: लैंगिक समानता की ओर । नई दिल्ली: ऑथरप्रेस. आईएसबीएन 9788172733063. विवरण।
9. कात्यायन द्वारा वर्तिका , 125, 2477
10. पतंजलि द्वारा अष्टाध्यायी 3.3.21 और 4.1.14 पर टिप्पणियाँ
11. मजूमदार, आरसी ; पुसालकर, ई. (1951). "अध्याय XX: भाषा और साहित्य"। में मजूमदार, आर सी ; पुसालकर, ई. (सं.). भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति, खंड I, वैदिक युग । बॉम्बे: भारतीय विद्या भवन. पी। 394 ओसीएलसी 500,545,168 ।
12. ए बी नारडो, डॉन (2000)। प्राचीन ग्रीस की महिलाएं । सैन डिएगो: ल्यूसेंट बुक्स। पी। 28 .
13. गेरहार्ड, उटे (2001)। महिलाओं की समानता पर बहस: एक यूरोपीय परिप्रेक्ष्य से कानून के एक नारीवादी सिद्धांत की ओर । रटगर्स यूनिवर्सिटी प्रेस। पी। 33. आईएसबीएन 978-0-8135-2905-9.
14. ए बी ब्लंडेल, सू (1995)। प्राचीन ग्रीस में महिलाएं, खंड 1995, भाग 2 । हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पी। 114. आईएसबीएन 978-0-674-95473-1.
15. ब्लंडेल, सू (1995). प्राचीन ग्रीस में महिलाएं, खंड 1995, भाग 2 । हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पी। 115. आईएसबीएन 978-0-674-95473-1.
16. रॉबिन्सन, एरिक डब्ल्यू. (2004). प्राचीन यूनानी लोकतंत्र: रीडिंग और स्रोत । विली-ब्लैकवेल। पी। 302. आईएसबीएन 978-0-631-23394-7.
17. ए बी सी प्राइ, के ओ (2012)। "एथेंस और स्पार्टा में महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक भूमिकाएँ" । कृपाण और स्क्रॉल । 1 (2). मूल से 13 मई 2017 को संग्रहीत किया गया ।
18. ए बी सी पोमेरॉय, सारा बी देवी, वेश्या, पत्नी और दास: शास्त्रीय पुरातनता में महिलाएं । न्यूयॉर्क: शॉकन बुक्स, 1975. पीपी. 60-62।
19. टियरनी, हेलेन (1999)। महिला अध्ययन विश्वकोश, खंड 2 । ग्रीनवुड प्रकाशन समूह। पीपी. 609-10. आईएसबीएन 978-0-313-31072-0.
20. पोमेरॉय, सारा बी. स्पार्टन वीमेन . ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002. पी. 137 [1]